

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्रांक-16विनि०-52/2017 - 290 (वि.प.) / कृ०, पटना, दिनांक 21/03/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(\* ) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

(\* ) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), साँढा, छपरा के बाजार प्रांगण में पी०सी०सी० सड़क निर्माण हेतु 100.52368 लाख (एक करोड़ बावन हजार तीन सौ अड़सठ) रूपये, सचिव आवास के नवीनीकरण हेतु 3.51689 लाख (तीन लाख एकावन हजार छः सौ नवासी) रूपये, 08 (आठ) दुकानों के नवीनीकरण हेतु 8.02074 लाख (आठ लाख दो हजार चौहत्तर) रूपये एवं गार्ड रूम के नवीनीकरण हेतु 1.61193 लाख (एक लाख एकसठ हजार एक सौ तिरानबे) रूपये कुल 113.67324 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सड़सठ हजार तीन सौ चौबीस) रूपये के लागत पर जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), साँढा, छपरा के बाजार प्रांगण में पी०सी०सी० सड़क निर्माण हेतु 100.52368 लाख (एक करोड़ बावन हजार तीन सौ अड़सठ) रूपये, सचिव आवास का नवीनीकरण हेतु 3.51689 लाख (तीन लाख एकावन हजार छः सौ नवासी) रूपये, 08 (आठ) दुकानों का नवीनीकरण हेतु 8.02074 लाख (आठ लाख दो हजार चौहत्तर) रूपये एवं गार्ड रूम का नवीनीकरण हेतु 1.61193 लाख (एक लाख एकसठ हजार एक सौ तिरानबे) रूपये इस प्रकार कुल 113.67324 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सड़सठ हजार तीन सौ चौबीस) रूपये से जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य कृषि बाजार समिति के प्रांगण में कृषकों द्वारा उत्पादित फसल उपज को लाभकारी मूल्य प्राप्त हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है एवं बाजार समिति प्रांगण को विकसित किया जाना है। इससे किसानों को बाजार समिति के प्रांगण में फसल उपज लाने, भंडारित करने एवं बेचने में सुविधा प्राप्त होगी। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राकलन (अनुसूची-1) अनुरूप राशि पर ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

3. बाजार प्रांगण में पी०सी०सी० सड़क निर्माण हेतु 100.52368 लाख (एक करोड़ बावन हजार तीन सौ अड़सठ) रूपये, पणन सचिव आवास का नवीनीकरण, बाजार प्रांगण के 08 (आठ) दुकानों के नवीनीकरण, बाजार प्रांगण के गार्ड रूमों के नवीनीकरण हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, छपरा द्वारा तैयार प्राकलन को क्रमशः 3.51689 लाख (तीन लाख एकावन हजार छः सौ नवासी) रूपये, 8.02074 लाख (आठ लाख दो हजार चौहत्तर) एवं 1.61193 लाख (एक लाख एकसठ हजार एक सौ तिरानबे) की तकनीकी अनुमोदन पत्रांक-276, दिनांक-02.02.2018 को मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा प्रदान की गई है। कार्य योजना का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	योजनाओं का नाम	प्राकलित राशि (लाख रु०)
01	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti main road to the east of parallel block D	14.98895
02	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti main road to the west of parallel block D	12.02120
03	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti main road to the F block	14.26672
04	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti from F block to G block	14.98493
05	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti main road from 150 ft to the 300 ft in a v block	11.53809
06	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti main road towards 150 ft in downwards in v block	11.53809
07	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti chapra v block tailind up wads 170 ft in v block	14.99018
08	Construction of P.C.C Road at Bazar Samiti main road to the state bank of india	6.19552

क्र०	योजनाओं का नाम	प्राकृतिक राशि (लाख रु०)
09	Renovation of Secretary Residence of Bazar Samiti, Chapra in the Saran District under.	3.51689
10	Renovation of Old Shop (8 Nos.) at Bazar Samiti, Chapra in the Saran District under	8.02074
11	Renovation of Guard Room of Bazar Samiti, Chapra in the Saran District	1.61193
	<b>कुल राशि:-</b>	<b>113.67324</b>

4. योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, सॉन्डा, छपरा द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय-समय पर जिला पदाधिकारी, छपरा (सारण) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक-सह-प्रशासक होंगे। इस कार्य को राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से कराया जायेगा।

5. यह राशि भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-3 में उपलब्ध है। स्वीकृत राशि की निकारसी भवन निर्माण विभाग द्वारा कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता संख्या-238 में पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर BTC - 46 पर की जायेगी। योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, सॉन्डा, छपरा द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय-समय पर जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक-सह-प्रशासक होंगे। इस कार्य को राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा।

6. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय मांग संख्या-03, उप मुख्य शीर्ष 01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उपशीर्ष-0119- कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03-4059010510119 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	7247.58	94.3487
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय मांग संख्या-03, उप मुख्य शीर्ष 01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03-4059017890102 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	1832.98	18.1877
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, मांग संख्या-03, उप मुख्य शीर्ष 01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-796- जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0105- कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03-4059017960105 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	114.56	1.1368
<b>कुल योग :-</b>	<b>9195.12</b>	<b>113.6732</b>

7. वित्त विभाग के सकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या-16विनि०-52/2017 के पृष्ठ सं०-06/टि० पर दिनांक-27.02.2018 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-16विनि०-52/2017 के पृष्ठ सं०-11/टि० पर दिनांक-19.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(Signature)*  
20.3.2018  
(सुधीर कुमार)  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

